बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–...............................

सिविल सर्जन, बक्सर के पत्रांक–2213 दिनांक–02.07.2024 प्रतिवेदन के द्वारा अवगत कराया गया है कि डॉ० नेहा रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बक्सर का विभागीय अधिसूचना सं०–1017(2) दिनांक–11.09.2020 के अनुपालन में सिविल सर्जन, बक्सर के समक्ष दिनांक–12.09.2020 को योगदान समर्पित किया गया। उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बक्सर के पत्रांक–1030 दिनांक–12.10.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि डॉ० नेहा रंजन दिनांक–11.10.2022 से कर्त्तव्य से अनुपस्थित है। डॉ० नेहा रंजन द्वारा अवगत कराया गया है कि अपनी अस्वस्थता से संबंधित अभ्यावेदन समय–समय पर समर्पित कर अवकाश की अभिवृद्धि हेतु अनुरोध गयी है। स्वस्थ होने के उपरान्त दिनांक–02.07.2024 को अभ्यादेवन समर्पित करते हुए पदस्थापित स्थल पर योगदान करने का अनुरोध किया गया। सिविल सर्जन, बक्सर द्वारा डॉ० नेहा रंजन के योगदान सबंधी आवेदन पर मार्गदर्शन की माँग की गयी।

2. डॉ० नेहा रजन द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० नेहा रंजन का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि डॉ० नेहा रंजन को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण करायी जाय। डॉ० नेहा रंजन का योगदान करने की सूचना से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० नेहा रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बक्सर के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप मे विहित प्रपत्र आरोप–पत्र गठित कर उपलब्ध करायी जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) 56(9) / **पटना, दिनांकः–** 14.01.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना/सिविल सर्जन, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि डॉ० नेहा रंजन के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित पत्र आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि–डॉ० नेहा रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
14/01/2025
सरकार के अवर सचिव।